

20/4/26

उपपक्ष अनुपरिहित। न्यायालय समय में कोई  
आवाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं  
आया। अतः वाकपत्र / प्रा० पत्र अदन हाजिर एवं  
अदन पैरवी में इसी स्तर पर जारीज किया जाता  
है। पत्रावली फौसला शुमार न. से कम की जाकर  
दाखिल दफ्तर हो।

५